बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक............................../

संचिका सं0–03/आ01–122/2024......................./प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23.01.2025 को विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा श्री रजनीकान्त प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के आवास एवं अन्य स्थानों पर छापेमारी की गयी है। प्रारंभिक सूचना अनुसार लगभग 02 करोड़ से अधिक नगद राशि एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त होने की सूचना है एवं अद्यतन छापेमारी जारी है। यह आय से अधिक सम्पति, गंभीर भ्रष्टाचार एवं घोर कदाचार का मामला है। उक्त आरोपों के लिए श्री प्रवीण को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान इनके निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा।

4. उक्त के संबंध में सरकार ने संकल्प लिया है कि श्री प्रवीण के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही अलग से प्रारंभ की जाएगी।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुबोध कुमार चौधरी)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक -03/आ-01-122/2024-62 पटना, दिनांक 23/01/2025

प्रतिलिपी :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0 कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) प० चंपारण/कोषागार पदाधिकारी, प० चंपारण/पूर्णियाँ/श्री रजनीकान्त प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23-1-25

(सुबोध कुमार चौधरी)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner